



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 493 राँची, सोमवार,

21 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

20 जुलाई, 2023

संख्या-18/विविध (07)-04/2023- 3251--

विषय:- आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-4215, दिनांक-10.07.2010 में संशोधन के संबंध में ।

विभागीय संकल्प संख्या-4215, दिनांक-10.07.2010 द्वारा उग्रवादी/आतंकवादी/जातीय हमले में क्षतिग्रस्त भवनों/आवासीय/व्यापारिक परिसर आदि के लिए अधिकतम राशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तक क्षतिपूर्ति अनुदान एवं चल सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु राशि 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) तक का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में साम्प्रदायिक तनाव/हिंसा/दंगे का जिक्र नहीं रहने के कारण एतद्विषयक मामले में पीड़ित सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने में कठिनाई होती है।

2. झारखण्ड राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है तथा राज्य सरकार पीड़ित सामान्य नागरिकों को राहत पहुँचाने हेतु कटिबद्ध है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिक तनाव/हिंसा/दंगे में हुए क्षतिग्रस्त भवनों/आवासीय/व्यापारिक परिसर आदि एवं चल सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु पीड़ित सामान्य नागरिकों को अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि ऐसे मामलों के पीड़ितों को राहत पहुँचाया जा सके।

3. उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-4215, दिनांक-10.07.2010 के अन्य प्रावधानों को यथावत रखते हुए कंडिका-1 (i) में अंकित "आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले" को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले/साम्प्रदायिक तनाव/हिंसा/दंगे"

4. उपरोक्त प्रतिस्थापन संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-11.07.2023 की बैठक के मद संख्या-11 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार),

सरकार के अपर मुख्य सचिव।
